न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 134—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 22—10—2012 के द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के प्रकरण क्रमांक 11/निग0/2008—09

.....

सुधाबाई पुत्री श्री श्याम सिंह
निवासी—ग्राम भड़कुल, तह0 बुधनी
जिला—सीहोर(म0प्र0)

..... आवेदिका

विरूद्ध

1— मंगल सिंह आ0 श्री आधार सिंह
निवासी—ग्राम भड़कुल, तह0 बुधनी
जिला—सीहोर(म0प्र0)

2— जगदीश सिंह आ0 श्री आधार सिंह
निवासी—ग्राम भड़कुल, तह0 बुधनी
जिला—सीहोर(म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदिका
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक05-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—10—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अनावेदक क्र0 1 मंगल सिंह आ0 आधार सिंह द्वारा नायब तहसीलदार रेहटी के न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गई। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के विरूद्ध आवेदिका सुधाबाई ने आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि पर सुधाबाई व उनके पिता श्यामसिंह का 20–25 वर्षों से कब्जा है। तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र को स्वीकार करते हुये दिनांक 11.06.07 को आवेदिका के आवेदन पत्र को निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सीहोर के न्यायालय में निगरानी पेश की गई। कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 30/निगरानी/2007–08 पर पंजीबद्ध किया गया एवं पारित आदेश दिनांक 31.07.08 से आवेदिका की निगरानी निरस्त कर दी गई। अपर कलेक्टर के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त न्यायालय में विधिवत प्रकरण क्रमांक 11/निगरानी/2008–09 पर पंजीबद्ध किया जाकर अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश को उचित मानते हुये, तहसील न्यायालय के आदेश को यथावत रखा एवं दिनांक 22.10.2012 को आवेदिका की निगरानी अस्वीकार कर दी गई। अपर आयुक्त भोपाल के आदेश दिनांक 22.10.2012 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता श्री जगदीश जैन ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर अनावेदक के अधिवक्ता श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जाता है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका सुधाबाई द्वारा आदेश–1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे भी पक्षकार बनाया जावे। इसी कारणवश विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका सुधाबाई को पक्षकार बनाया। आवेदिका द्वारा दिनांक 15.05.07 को आदेश 7 नियम 11(घ) व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 250 के तहत विगत दो वर्ष के, कब्जे को हटाये जाने बावत् आवेदन पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदिका सुधाबाई ने कमलाबाई से वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दिनांक 18.10.05 को क्रय की थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय की गई भूमि का दिनांक 18.05.05 को सीमांकन कराया है। अनावेदक क्र0 1 मंगल सिंह द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष सीमांकन दिनांक से तीन माह के भीतर कब्जा प्राप्ती हेतु विधिवत आवेदन–पत्र पेश किया गया था । यदि आवेदक उक्त सीमांकन आदेश से परिवेदित था तब उसे उक्त सीमांकन आदेश को चुनौती देनी चाहिये थी। सीमांकन आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है और सीमांकन आदेश के आधार पर ही संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रचलित है। इसी कारण अपर कलेक्टर, सीहोर ने भी विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुये है तथा आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है एवं अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल ने भी अपर कलेक्टर, सीहोर के आदेश को न्यायसंगत एवं विधि के अनुकूल माना है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

5/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन एवं अस्तित्वहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर